695वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. सदस्य सचिव के प्रतिनिधि।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 8464/2023 M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7,353 cum per annum) (Khasra No.- 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (M.P.) (EIA)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री केशव प्रसाद अवस्थी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भरद्वाज, मे0. जेनिथ इंवारोमेंटल कंसलटेंसी, नोएड़ा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	M/s Mahalaxmi Mines & Minerals, Ward No. 4, Kamour, Tehsil - Vijayraghavgarh, Dist. Katni, MP, Mobile Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.468 ha. (7,353 cum per annum) (Khasra No.- 1179/2), Village - Mudgudi, Tehsil - Maanpur, Dist. Umariya (M.P.) SIA/MP/MIN/417543/2023.
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–1179/2, एरिया– 1.468 ha., निजि भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– मुडगुडी, तहसील – मानपुर, जिला– उमरिया, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 15594 दिनांक 15/10/2020.
परियोजना की श्रेणी	बी–1.
टॉर स्थिति	एस.ई.ए.सी. दिनांक 03/04/2021 496 वी बैठक टॉर अनुशंसित, टॉर पत्र क्र0. 866 दिनांक 24/05/2021.

लोक सुनवाई	दिनांक 14/11/2022.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 7,353** घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2031 दिनांक 22/12/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 15.307 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 15594 दिनांक 15/10/2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 15594 दिनांक 15/10/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– मुड़गुड़ी (अम्बाह) जिला – उमरिया का ठहराव प्रस्ताव क0. 12 दिनांक 26/01/2020 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed – 01 (Barrier Zone) Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी < 300, कच्चा रोड़ 30 मी. एवं पक्का रोड़– 150 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 47 के सरल क्रमांक – 64 पर दर्ज है।

समिति ने गूगल इमेज में परीक्षण के दौरान पाया कि दक्षिण पूर्व दिशा– आबादी < 300, कच्चा रोड़ 30 मी. एवं पक्का रोड़– 150 मी. स्थित है इस संबंध परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह सभी हॉलेज रोड़ है। समिति ने भी सुनिश्चित किया कि यह रोड़ आबादी को जोड़ते हुए नही पाई गई अतः हॉलेज रोड़ ही है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित

नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान क्षेत्र पूर्व में श्री बद्रीप्रसाद को आवंटित थी जो 10 वर्षो तक संचालित की गई । गूगल इमेज के अवलोकन करने पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कोई भी कार्य परिलक्षित नही हो रहा है । अतः संबंधित पूर्व परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व सिया स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

1. ब्लास्टिंग के संदर्भ में प्रति होल विस्फोटक की संभावित मात्रा एवं किस अंतराल पर ब्लास्टिंग की जाना है की जानकारी के साथ विस्तृत ब्लास्टिंग प्लान प्रस्तुत करें।
2. लीज क्षेत्र में प्रस्तावित गतिविधियों को ले–आउट मे दर्शाते हुये पुर्नरीक्षित सरफेस प्लान।
3. ब्लास्टिंग एंव अन्य गतिविधियों के कारण पी.एम. 2.5 की इंक्रीमेंट वैल्यू क्या होगी स्पष्ट करें।
4. ओव्हरवर्डन एवं स्वाईल का प्रबंधन हेतु व्यय को ई.एम.पी. बजट मे सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत करें।
5. पुर्नरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

2. <u>Case No 10442/2023 Ms Mina Adbhute, Lessee, R/o Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)-460553, Prior Environment Clearance for Nahiya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11,191 cum per year) (Khasra No. 51), Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP). DEIAA to SEIAA.</u>

समिति की 683वीं बैठक दिनांक 29/9/23 मे प्रस्तावित खदान का **डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का री–एपराईजल हेतु** प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल ईमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश'देशांश का मिलान माईनिंग प्लान के आक्षांश'देशांश से नही होता परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रुटिवश ऐसा हो गया है । **अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से आक्षांश–देशांश को प्रमाणित कराकर पुनः प्रस्तुत करे** ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/11/23 परीक्षण हेतु रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक **Ms Mina Adbhute** (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण को डिया से दिनांक 05/10/2016 को ईसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः–**

1. **ऑन लाईन फार्म–1 में डिया द्वारा जारी** पर्यावरर्णीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तो के परिपालन मे की गई कार्यवाही की जानकारी नही दी गई है, अतः **उक्त जानकारी** प्रस्तुत करे ।
2. **खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नही किया गया है अतः पत्थर की दीवाल आदि से पूर्ण कर पुनः प्रस्तुत करे ।**
3. **डिया द्वारा जारी** पर्यावरर्णीय स्वीकृति एंव तत्समय की **खनन् योजना के अनुसार स्टोन की उत्पादन क्षमता – 11,305 घन मीटर प्रतिवर्ष दर्शायी गई है, जबकि वर्तमान आवेदन मे नवीन खनन् योजना के अनुसार उत्पादन क्षमता – 11,191 घन मीटर प्रतिवर्ष दर्शायी गई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ।**

In the matter of the re-appraisal of the EC issued by the DEIAA, the PP requested to consider the information in Form 1 part (A), as given in the present mining plan but the committee suggested for providing information in Form 1 part (A) as it was presented during the DEIAA appraisal for grant of the EC. It is propose to take suitable decision by the SEIAA in this regard.

3. <u>Case No Case No 10658/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Muar River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (67500 cum per year) (Khasra No. 358), Village Muar, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री ओ.पी बद्येल, खनिज अधिकारी समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	358 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village Muar, Tehsil Gadarwara District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक	

	एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–67,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–67,500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 993 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 993 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 993 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय जनपद पंचायत, सांईखेड़ा जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 1695 दिनांक 27/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से जनपद पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–78 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान दुधि नदी में स्थित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री ओ.पी. वघेल द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय कलेक्टर खनिज नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 1193 दिनांक 30/9/23 के द्वारा खदान के अद्यतन क्वाडिनेट प्रस्तुत किये गये है एवं साथ ही सूचित किया कि सिया के पत्र क्रमांक 2323 दिनांक 14/12/22 के द्वारा ई.सी अंतरण हुआ था। अतः संबंधित बिंदु–3 अनुसार शर्तो का पालन किया जावे, जिसमें वृक्षारोपण, सीईआर की गतिविधियॉ शामिल है । यदि वृक्षारोपण किया है तो लेटलॉग के साथ कितने वृक्ष लगने थे, सीईआर की शर्तो के साथ पालन करेंगे । यह कोई शर्तो का पालन नहीं किया गया है तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह

वचन दिया जावेगा कि मेरे द्वारा किया जावेगा । साथ ही खनिज अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, के प्रमाणिक दस्तावेज सहित सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे । प्रकरण का परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि माईनिंग प्लान में लीज एरिया की गहराई 2.5 मीटर तथा डी.एस.आर में गहराई 3.0 मीटर दर्शायी गई है । इस संबंध में उपस्थित सहायक खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2022–23 में रेत का उत्खनन् 67,500 घनमीटर किया गया है एवं पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 21/11/23 द्वारा समिति को सूचित भी किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–67,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.97 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
सी.एस.आर मद से 50,000 रुपये की राशि ग्राम मुआर के Health & Wellness Center **के खाते में भू – प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।**	50,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास ।	**1500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	**800**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा गरारी, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	300
2	ग्राम– मुआर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य	3400

		स्थानीय प्रजातिया	

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

विशिष्ट शर्तेः–

- **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
- **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

4. Case No 10656/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Dhamnya Sand Deposit in an area of 5.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dhamniya, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण का है, जो मोरण्ड नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri PRAMOD DHABAI** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
परियोजना प्रस्तावक,	Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	mandir, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village- Dhamnya, Tehsil- Shahpur, District- Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–22,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–22,800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 04/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, कच्ची सड़क, पक्की सड़क एवं पूल स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 209 पर प्रस्तावित खदान के लिए ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव अपलोड किया गया है जबकि प्रस्तावित खदान खसरा नं.–1 पर स्थित है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–52 के सरल क्रमांक–35 पर दर्ज है ।	

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि यह खदान मोरण्ड नदी में स्थित है। लीज क्षेत्र में से नदी की पतली जलधारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा में 250 मी. की दूरी पर 94 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज है। **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते**

हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा नं. 209 पर प्रस्तावित खदान के लिए ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव अपलोड किया गया है जबकि प्रस्तावित खदान खसरा नं.–1 पर स्थित है, अतः परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित खदान खसरा नं.–1 के लिए ग्रामसभा ठहराव प्रस्तुत करें ।

5. <u>Case No 10665/2023</u> <u>Shri Subhash Chandra karnavat, Junior Manager (General), M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur, Prior Environment Clearance for Bijoriya-2 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (5400 cum per year) (Khasra No. 363), Village-Bijoriya, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur (MP).</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण का है, जो आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ0. शशांक शेखर मिश्रा मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Subhash Chandra Karnavat, Junior Manager, M P STATE MINING CORPORATION, Office of the Collector, Alirajpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	363 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.50 hectare.
स्थल	Village- Bijoriya, Tehsil- Katthiwada, District- Alirajpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 685 दिनांक 26/05/23 के द्वारा आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–5400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–5400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 25/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.50 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 25/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1181 दिनांक 25/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 30–40 मानव आवास स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आगलगोटा जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/05/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–62 के सरल क्रमांक–21 पर दर्ज है ।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया लीज क्षेत्र में से नदी की पतली जलधारा निकल रही है तथा पश्चिम दिशा में 453 मी. की दूरी पर 116 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज है। **परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन् कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।**

6. <u>Case No 10328/2023 Smt. Sangeeta Agrawal, R/o Near Bus Stand, Prithvipur, District Niwari (MP)-472336, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 1344/2), Village-Bhopalpura, Tehsil-Prithvipur, District-Niwari (MP) . DEIAA to SEIAA.</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेगें, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/11/23 परीक्षण हेतु रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता अग्रवाल (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑन लाईन,

मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरणों को डिया से दिनांक 25/08/2017 को ईसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

7. <u>Case No 10330/2023 M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam (MP)-457114, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 81), Village-Hatpipliya, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP). DEIAA to SEIAA.</u>

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ । समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि प्रस्तुत प्रकरण प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खनन स्थानान्तरण की स्थिति में समिति का निम्नानुसार सुझाव हैः—

इसी प्रकरण के संदर्भ में डिया द्वारा पूर्व में जो ई.सी 10 वर्ष के लिये अंतरक पटट्ेदार श्रीपाल दसेडा को वर्ष 2017 से 2027 तक के लिये प्रदान की गई थी। अंतरक पटट्ेदार द्वारा 06/09/2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उन्हे स्वीकृत पटटे को शेष अवधि के लिये <u>M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam</u> के नाम से अंतरण किये जाने हेतु लिखित सहमति दी गई है तथा तदोपरांत सिया द्वारा यह ई.सी <u>M/s Shekhawati Mines and Minerals, Shri Khalid Mohammed, Proprietor R/o Village Abupura, tehsil alod, District Ratlam</u> को प्रदान की गई थी । इससे यह प्रकाश में आया कि डिया द्वारा प्रदान की गई शर्तो का पालन किये बिना ही अन्य को ट्रांसफर कर दी गई तथा यह समिति इस बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहती है कि ई.सी को ट्रांसफर करते समय यदि शर्तो का पालन नहीं हुआ है तो शर्तो का पालन करवाने के उपरांत ही ई.सी दी जाये या लंबित ई.सी के शर्तो के पालन की जिम्मेदारी के विषय में स्पष्ट किया जाये की शर्तो के अधिरोपण के संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाना उचित होगा। उक्त प्रकरण ट्रांसफर का न होकर करके नये प्रकरण के रूप में समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अतः पूर्व के ई.सी के शर्तो के पालन किस स्तर पर होगा इसका निर्णय लिया जाना उचित होगा।

ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है कि डिया के प्रकरणों का पुनः परीक्षण से बचने के लिये लोग एक नये रास्ते का उपयोग कर सकते है। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान के पेज न. 11 पर डेप्थ 15 मी. तक प्रस्तावित है तथा पेज न. 13 एवं पेज न. 22 माईनिंग कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। फेन्सिंग कार्य के छायाचित्र प्रस्तुत किये गये है, पी.पी द्वारा बताया गया कि 90 पौधो के लगभग रोपण हो चुका है। समिति ने पी.पी को निर्देश दिया कि प्रस्तावित 2400 पौधो में से 25 प्रतिशत पौधे लगाकर प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें। प्रकरण का परीक्षण किया गया प्रकरण की अनुशंसा इस शर्त के अनुसार की जाती है कि प्रस्तावित 25 प्रतिशत वृक्षारोपण कर सेक को प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है । प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 21/11/23 परीक्षण हेतु रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक खालिद मुहम्मद एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरणों को डिया से दिनांक 05/10/2016 को ईसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। समिति द्वारा परीक्षण के दौरान पाया कि यह फेंसिग कार्य अपूर्ण है । परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण की संख्या नही दी गई है परन्तु तत्समय स्वीकृत माईनिंग प्लान उपलब्ध न होने की वजह से यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि बैरियर जोन में कितने पौधे लगने थे एवं कितने लगा दिये । इसी प्रकार फेंसिग एवं वृक्षारोपण के बारे मे स्थिति स्पष्ट नही की जा सकी ।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 पौधे खदान क्षेत्र में लगाये है एवं 600 पौधे गांव वालो को वितरण कर दिये गये है । चूकि यह प्रकरण डिया का है परन्तु यह लीज हस्तांरित हुई है अतः फार्म–1ए के आधार पर रि–एप्राइजल नही किया गया है । **अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति किये जाने हेतु अग्रेसित किया जाता है ।**

उल्लेखनीय है, कि पूर्व में **समिति ने अपनी बैठक क्र0. 681 दिनांक 25/09/2023** के माध्यम से सिया से मार्गदर्शन चाहा था जिसके संदर्भ में **सिया द्वारा 813 वी. बैठक दिनांक 13/10/2023** मे निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

"ऐसे प्रकरण जिनमें लीज हस्तातंरण हुई है ओर परियोजना प्रस्तावक नवीन है उन प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जाये की पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियावरण स्वीकृति की कितनी शर्तो का पालन किया गया है, जिनका परिपालन पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है, उन सभी शर्तो का परिपालन किये जाने की शर्त पर सेक समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जायें। डिया की शर्तो के परिपालन किये जाने की शर्त पर सेक समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा की जाये"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जायें।
2. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.75 लाख एवं रिक्रंरिंग राशि रू. 02.12 लाख प्रति वर्ष ।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. प्रस्तावित सभी कार्य भू–प्रवेश के 03 माह के अंदर पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत हाटपिपलिया में अधोसंरचना विकास योजना हेतु योगदान राशी ई.सी. प्राप्ति के 6 माह मे प्रदान की जावेगी	60,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन व गैर खननक्षेत्र के अंतर्गत	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	800
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बइत्यादि।	100
3	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहलआदि।	900

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. <u>Case No 10660/2023 Shri Ajay Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Khera Majora Pyrophyllite Mine in an area of 4.650 ha. (99237 TPA) (Khasra No. 306P), Village-Khera majrora, Tehsil-Buxwaha, District-Chhatarpur (MP), DEIAA to SEIAA.</u>

प्रस्तावित खदान डिया से सिया का है, जिसका आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

695वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 नवम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ajay Pal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO MINERALS, 6 km Sagar Road, Dhadari Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Compartment No.- P-306, Forest Block - Khera Majora, Forest Range-Bajana, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.65 hectare.
स्थल	ग्राम Khera majrora तसहील Buxwaha जिला Chhatarpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 434 दिनांक 30/04/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 861 दिनांक 26/06/16 के द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता की मात्रा अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैट्रिक टन/वर्ष रहेगी ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पायरोफ्लाईट–99,237 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पायरोफ्लाईट–99,237 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2123 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2123 दिनांक 09/08/23 अनुसार वन संरक्षक सा0 वनमण्डल, छतरपुर के पत्र क्रमांक मा.चि./2015/1712 दिनांक 13/08/15 निकटतम् वन सीमा कक्ष क्रमांक पी–306 का भाग है और 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2123 दिनांक 09/08/23 अनुसार वन 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भुजपुरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 14 दिनांक 15/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला– 154 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 241 के सरल क्रमांक–1 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

<u>प्रकरण का परीक्षण</u>

1. प्रकरण को पूर्व में ईसी क्रमांक 861 दिनांक 26/8/2016 को जारी हुई थी ।
2. ई.सी. की शर्त न. 12 में पौधारोपण की शर्त थी माईन प्लान के पृष्ठ क्रमांक 6 के अनुसार लीज एरिया के बाहर 200 पौधे लगाये जाने का प्रावधान था वे पौधे कहा लगाये गये वहा का भूमि उपयोग (land use) क्या है ।
3. अनुमोदित खनन् योजना के पृष्ठ क्रमांक 23 के अनुसार कुल 0.62 हे. में ग्रीन बेल्ट करने का प्रावधान था जबकि पृष्ठ क्रमांक 6 के अनुसार वृक्षारोपण स्थान अनुउपयोगी बताया गया है परन्तु 0.62 हे. में ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है जो कि विरोधावासी पाया गया है अतः इन बिंदुओ को स्पष्ट करे।
4. 200 पौधे लगाये जाने थे वह कहां लगाये गये फार्म–1 में ग्रीन बेल्ट के अंतगर्त 0.62 हे. में 5400 पौधे लगाये जाने का उल्लेख है, परन्तु माईनिंग प्लान में 4000 पौधे लगाये जाने का उल्लेख है ।
5. फार्म–1 में 0.62 हे. 5400 पौधे प्रस्तावित किये गये यह रोपण संभव नही है । साथ माईनिग प्लान के पेज न. 6 में ग्रीन बेल्ट पथरीला होने के कारण संभव होना नही बताया गया है अतः फार्म–1 दिये बैरियर जोन में पौधो के संख्या स्पष्ट की जाये ।
6. सीईआर की गतिविधि बिन्दु क्रमांक 17 पर प्रस्तावित स्थल आस–पास लोगे के लिये हेल्थ केंप कराये जाने का उल्लेख है परन्तु इसे स्पष्ट नही किया गया है ।

अतः परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करते हुए निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
4. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
5. OB Dump and waste management with facts and figures:
6. Top soil management with soil profile:
7. Detail of old Environment Clearance with validity period:
8. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
9. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
10. Water requirement (KLD):

11. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
12. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
13. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
14. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

15. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
16. Carbon footprint.
17. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

9. Case No 9186/2022 Shri Wasim Khan, Owner, Dargah Mohalla, Tehsil - Alot, DIst. Ratlam, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (19950 Cum per annum) (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP) – (EIA)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री वसीम खान (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ. प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Wasim Khan, Owner, Dargah Mohalla , Tehsil - Alot, District – Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	385/2/2 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Jeevangarh, Tehsil- Alot, District- Ratlam, M.P.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1509 दिनांक 21/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 886 दिनांक 28/06/22 के द्वारा पत्थर–19,950	

	घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,950 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,950 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 763 दिनांक 27/04/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 763 दिनांक 27/04/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 763 दिनांक 27/04/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत माऊखेड़ी जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 2 पिट खुदे हुए दिख रहे है जिनको माइनिंग प्लान में दर्शाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संबंध में खनिज अधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख है कि पूर्व में यह खदान अस्थायी परमिट के तहत रोड बनाने के लिये अन्य व्यक्ति को दी गई थी । वर्तमान में खदान क्षेत्र में लगभग 6 से 7 मीटर के गढ़ढे है । उत्तर पश्चिम दिशा– पक्का रोड़ – 176 मी. इस संबंध में 25 मीटर का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण, धूल प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार, खदान के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19,950 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.28 लाख एवं रिक्रिरिंग राशि रू. 04.02 .लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम जीवनगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी कल्याण समिती को दिया जाएगा।	100,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2450 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**250**
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2000
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

10. <u>Case No 10659/2023 Shri Ajay Pal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s Khajuraho Minerals Limited, 6 km, Sagar Road, Dhadari, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Garhi (Malhera) 3 Pyrophyllite & Diaspore Mine in an area of 2.791 ha. (5396 TPA) (Khasra No. 303,</u>

304, 305/2, 306), Village-Garhi, Tehsil-Maharajpur, District-Chhatarpur. DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान डिया से सिया का है, जिसका आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स Aplinka Solutions & Technologies Private Limited, Noida (U.P.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ajay Pal Singh Parmar, Partner and Authorized Signatory, M/s KHAJURAHO MINERALS, 6 km Sagar Road, Dhadari Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	303, 304, 305/2, 306 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की है)	2.791 hectare.
स्थल	Village Garhi (Malhera) Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 432 दिनांक 30/04/15 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छतरपुर के पत्र क्रमांक 542 दिनांक 04/03/17 के द्वारा खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Pyrophyllite & Diaspore–5396 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Pyrophyllite & Diaspore–5396 टीपीए है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1392 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1392 दिनांक 23/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1392 दिनांक 23/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम परिषद् गढ़ीमलहरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1356 दिनांक 20/09/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कई वृक्ष स्थित है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ है।
	पश्चिम दिशा– पक्की रोड़– 472 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–244 के सरल क्रमांक–25 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि फार्म–1ए में जो जानकारी दी गई है उसमें विसंगतियां है अतः माईनिंग प्लान में जो डेटा दिये उनको फार्म–1 में समाहित कर प्रस्तुत करें ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिलास्तरीय समिति विदिशा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के कम्प्लाइन्स एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :–

1. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
2. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
3. OB Dump and waste management with facts and figures:
4. Top soil management with soil profile:
5. Detail of old Environment Clearance with validity period:
6. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
7. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
8. Water requirement (KLD):
9. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
10. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
11. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
12. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks

- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

13. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
14. Carbon footprint.
15. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

11. Case No 9271/2022 Shri Vedanand Roy, Director, M/s PACIFIC MINERALS PRIVATE LTD, Baihar Road, Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Managanese Mine in an area of 10.0 ha. (Managanese - 10559.8 Tonne per annum, Sub Grade - 586.655 Tonne per annum, Mineral Reject - 586.655 Tonne per annum) (Khasra No. Compartment No. P.O 127) Village - Laugher, Tehsil - Baihar, Dist. Balaghat, MP-EIA.

प्रकरण आज सेक की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

12. Case No 10655/2023 Shri Kapil Jhabak, Leessee, R/o 1/20, Kothari Colony, Rehti, Salkanpur, District-Sehore (MP)-466446, Prior Environment Clearance for Narela Crusher Stone Quarry in an area of 1.902 ha. (40007 cum per year) (Khasra No. 125/1, 125/2/1, 125/2/2), Village – Narela, Tehsil – Rehti & District – Sehore (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कपिल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KAPIL JHABAK, Leessee, 1/20, Kothari Colony, Rehti, Salkanpur, Sehore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	125/1,125/2/1,125/2/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियेाजना प्रस्तावक स्वयं की है)	1.902 hectare.

स्थल	Village – Narela, Tehsil – Rehti & District – Sehore (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1807–08 दिनांक 09/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक ने आवेदन अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–40,007 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर– पत्थर–40,007 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक–1904 दिनांक 28/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.902 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक–1904 दिनांक 28/06/23 अनुसार रातापानी अभ्यारण्य से 2.43 कि.मी की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक–1904 दिनांक 28/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आबादी लगभग 25 मकान बने है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नरेला जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–03 दिनांक 26/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -02 Tree Felling - NO
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– कच्ची रोड़– 45 मी.
	दक्षिण दिशा– पक्की रोड़– 236 मी., दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी – 536 मी.
	पूर्व दिशा– नहर– 253 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक–1904 दिनांक 28/06/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक

	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–40,007 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.01 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल नरेला में चार पंखे, फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, सिस्सू, चिरोल, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1100
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	नरेला ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
4	शास. अंकुर योजना के तहत ग्राम पंचायत भवन एवं शास.	पीपल, कचनार, नीम,कदम्ब, मुनगा	200

	स्कूल में		
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			
		कुल	

13. <u>Case No 10666/2023 Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner, M/s Shri Banke Bihari Sarkar, Stone Crusher, 154, Defernse Estate, Phase-1, Bundu Katra, Gwalior Road, District-Agra (UP)-282001, Prior Environment Clearance for Bilheti Stone Mine in an area of 1.50 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2034), Village-Bilheti, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) DEEIA to SEEIA.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/11/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner,, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.).उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Deepak Goyal S/o Rajendra Prasad Goyal, Partner, M/s Shri Banke Bihari Sarkar, Stone Crusher, 154, Defernse Estate, Phase-1, Bundu Katra, Gwalior Road, District-Agra (UP)-282001, Prior Environment Clearance for Bilheti Stone Mine in an area of 1.50 ha. (30,000 cum per year) (Khasra No. 2034), Village-Bilheti, Tehsil-Gird, District-Gwalior (MP) [445066].	
परियोजना का खसरा नं. /लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–2034,	एरिया– 1.50 ha., शासकीय भूमि (पहाड़ चरनोई)
परियोजना स्थल	ग्राम– बिल्हैटी, तहसील – गिर्द, जिला– ग्वालियर, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1585 दिनांक 13/10/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (As per Approved Mining Plan/ Parivesh Portal uploaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया, ग्वालियर के पत्र क्र0. 208 दिनांक 13/09/2018 के माध्यम से श्री प्रशांत वर्मा पुत्र स्व. श्री विकासचंद निवासी ग्वालियर के नाम से जारी की गई है। वर्तमान मे नाम परिवेर्तन के साथ परिवेश	

	पोर्टल के माध्यम से वांछित जानकारियों के साथ आवेदन प्राप्त हुआ है।
उत्पादन क्षमता	**स्टोन – 30**,000 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.160 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/**नगर निगम की अनुमति**	ग्राम पंचायत– बिल्हैटी जिला – ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 26 दिनांक 15/08/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 20 के सरल क्रमांक – 14 पर दर्ज है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के अन्दर प्लान्ट/यूनिट स्थापित है। उत्तर पश्चिम दिशा– पक्की रोड़– 71मी.

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री–एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रकरणों को डिया से दिनांक 05/10/2016 को ईसी प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि फार्म–1ए में जो जानकारी दी गई है उसमें विसंगतियां है अतः माईनिंग प्लान में जो डेटा दिये उनको फार्म–1 में समाहित कर ड्रोन व्हीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत करें ।

14. Case No 9526/2022 Shri S.P. Tiweri, Director, SNS Minerals Private Limited, 5C, Alipore Park Road, Kolkata, West Bengal-700027, Prior Environment Clearance for Bhatia Limestone Mine in an area of 5.122 ha. (Limestone-106449 TPA, OB/Soil-42193 and Waste-21290 TPA Cum per annum) (Khasra No. 922, 1082), Village–Bathiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)

प्रस्तावित खदान का ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री एस.पी. तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri S P Tiwari, Director, M/s SNS MINERALS PRIVATE LIMITED, 5C Alipore Park Road, Kolkata, West Bengal.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	922, 1082 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड) परियोजना प्रस्तावक को भू–स्वामी प्राप्त है ।	5.122 hectare.
स्थल	Village Bathia, Tehsil- Maihar, Dist. Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति / लीज अनुबंध	लीज अनुबंध दिनांक 11/01/2017.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक द्वारा 617वीं बैठक दिनांक 03/01/2023 को टॉर अनुशंसित किया गया है। सिया के पत्र क्रमांक 2803 दिनांक 08/02/23 के द्व लाईम स्टोन–1,06,449 टीपीए, माइन वेस्ट–21,290 टीपीए एवं ओव्हरवर्डन/मिट्टी–42,193 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन–1,06,449 टीपीए, माइन वेस्ट–21,290 टीपीए एवं ओव्हरवर्डन/स्वाई–42,193 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार लाईम स्टोन–1,06,449 टीपीए, माइन वेस्ट–21,290 टीपीए एवं ओव्हरवर्डन/स्वाई–42,193 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 14/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 136.417 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 14/11/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 14/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–22 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– नहर – 240 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं ।
जन सुनवाई	इस खदान की जनसुनवाई के दौरान प्राप्त सुझावो को ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन–1,06,449 टीपीए, माइन वेस्ट–21,290 टीपीए एवं ओव्हरवर्डन/मिट्टी–42,193 टीपीए ।
2. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.04 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 16.95 लाख प्रति वर्ष ।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 6.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Skill development of tribal of the area i.e. Majhgaona, Maihar (50 girls and 50 boys) for competitive exam through reputed coaching institute	6.50 lacs

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	In barrier zone (940m x 7.5m= 7050sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	1400
2	Non mining area and backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalbi, Whute Kastar and other local species	2000
3	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

15. <u>Case No 9525/2022 M/s RAVI INFRABUILD PROJECTS PRIVATE LIMITED, Authorised Singnatory, Shri Abhishek Gupta, 95, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur Rajsthan. Prior Environment Clearance for Bargadi Stone & M-Sand Quarry (Temporary Permit) in an area of 4.00 ha. (Stone-1,25000 & M-Sand-25000 Cum per annum) (Khasra No. 636), Village–Bargadi, Tehsil-Barod, District-Agar-Malwa (MP) - EIA</u>

सिया के पत्र पृ. क्रमांक 1743 दिनांक 17/10/23 का अवलोकन हो, जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान का वास्तविक नम्बर 9525/2022 है, जिसे परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाईन नं. 446145/23

के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसे सिया द्वारा स्वीकार कर त्रुटिवश प्रकरण 9523/2022 के माध्यम से भेजा गया है ।

प्रस्तावित खदान का ईआईए प्रस्तुतीकरण है, जिसमें आज दिनांक 21/11/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक गुप्ता (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण ईआईए प्रस्तुतीकरण का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Abhishek Gupta, Authorised Singnatory, M/s RAVI INFRABUILD PROJECTS PRIVATE LIMITED, 95, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur Rajsthan.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	636 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village.-Bargadi, Tehsil- Barod, District- Agar Malwa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 2326 दिनांक 31/10/22 के द्वारा स्वीकृत । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया इस खदान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के संशोधित पत्र क्रमांक 732 दिनांक 05/09/23 के द्वारा अवधि दिनांक 08/06/24 तक बढाई गई है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक द्वारा 617वीं बैठक दिनांक 03/01/2023 को टॉर अनुशंसित किया गया है। सिया के पत्र क्रमांक 2769 दिनांक 07/02/23 के द्वारा पत्थर–1,25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–25,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–25,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 25/08/22 अनुसार 500 मीटर की	

	परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.45 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 25/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 25/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में राज्य मार्ग आलोट रोड़ एवं शासकीय नाला व पक्का रास्ता स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरगड़ी जिला आगर मालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 28/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	एक पक्की सड़क 500 मीटर पर, एक पक्की रोड – 375 मी. पर एवं कच्ची रोड 375 मी. उत्तर पश्चिम दिशा मे एक शेड़ तथा दक्षिण दिशा में 02 जल रोकने की संरचना क्रमशः 200 तथा 150 मी. पर, एक जल रोकने की संरचना उत्तर दिशा मे 120 मी. की दूरी पर स्थित है तथा एक गौशाला पश्चिम दिशा में 310 मीटर पर प्रस्तावित है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्रमांक 2441 दिनांक 09/12/22 अनुसार उक्त खदान को संपूर्ण प्रकिया पूर्ण उपरांत आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	**प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई में खसरा क्र. 636 ग्राम पंचायत बरगड़ी की जनता ने आपत्ति प्रकट की है क्योंकि ग्राम बरगड़ी श्री कृष्णा योगेश्वर गौशाला संचालित है जिसमें लगभग 1500 गाय चरती है तथा इस भूमि पर हरे–भरे पेड़ खड़े है तथा भूमि से शासकीय तालाब लगा हुआ है आदि** आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि यह अस्थायी अनुज्ञा के अंतगर्त आवंटित हुई है जिसका समायवधि 08/6/2024 तक बढाई गई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थ–1,25,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–25,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. **एम.सेड प्लॉट हेतु प्रस्तावित स्लरी मेंनेजमेंट प्लॉन का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.62 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 04.39 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गौशाला सम्बंधित अधोसंरचना विकास व चारागाह विकास हेतु भूप्रवेश मिलने के 1 माह के भीतर गौशाला कार्यालय में सहयोग राशी प्रदानकीजावेगी	5,00,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4950 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	गौशाला परिसर में	फोडरउक्त वृक्ष , घास व स्थानीय पीपल, पाकड़, बरगद, जामुन, नीमसिस्सू, आदि।	900
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजआदि।	320
3	ग्रामबरगाड़ीमेंनिर्माणाधीनमंदिरपरिसरमे	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजआदि।	40
4	ग्रामबरगडीमेंस्थित शासकीय विध्यालय परिसरमें	पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50
5	गौशाला)तथाआसपास के गांवमेंपौधेकावितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	3640

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

16. Case No 10664/2023 Shri Tarun Agarwal, Director, M/s A T S Alloys Private Limited, A-1, 2, 3, 4, Sundaram Vihar, District-Mandsaur (MP)-458001, Prior Environment Clearance for Proposed Mini Steel Plant in an area of 4.04 ha. (Billets-1,00,000 TPA, TMT Bars-90,000 TPA) (Khasra No. Plot 19 &20), Village-Saryakhera, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) Cat. 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous). TOR.

This is a rolling mill project. All non –toxic secondary metallurgical processing industries manufacturing >5000 tones/annum metal components are covered under the EIA Notification 2006 as amended 2009 and are mentioned at SN 3(a), B. Hence these projects are required to obtain prior EC before establishment. The case was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TORs' to carry out EIA and prepare EMP for the project. Category: 3(a).

The case was presented by Env. Consultant Shri Mukesh Kaore from M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.) along with PP Shri Tarun Agarwal (on-lime) wherein PP submitted following details about the project:

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/446102/2023	
2.	Proposal /Activity Name	Shri Tarun Agarwal, Director, M/s A T S Alloys Private Limited, A-1, 2, 3, 4, Sundaram Vihar, District-Mandsaur (MP)-458001,	
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Proposed Mini Steel Plant in an area of 4.04 ha. (Billets-1,00,000 TPA, TMT Bars-90,000 TPA) (Khasra No. Plot 19 &20), Village-Saryakhera, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP) [446102] Cat. 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous).	
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	New	
5.	ToR	Proposed ToR Submitted by PP.	
6.	Description of Project	Proposed Mini Steel Plant, Capacity - Billets 100000 Metric Ton per annum and - TMT Bars 90000 Metric Ton per annum	
7.	Project Cost Rs.	4948 Lakhs.	

8.	Plot Area	Plot 19 &20), Village-Saryakhera, Tehsil-Sitamau, District-Mandsaur (MP)	
9.	Area in ha.	4.04 ha	
10.	Production Qty. in M^3/Y	• Billets - 1,00,000 TPA, • TMT Bars - 90,000 TPA	
11.	Gram Sabha NOC	Gram Panchayat Galiayara dated 21/07/2023.	
Documentary Details			
12.	DIC Registration	1003 date 19/07/2023.	
13.	Google image status	24° 3'19.00"N to 75°20'41.53"E 24° 3'10.23"N to 75°20'45.87"E	
14.	Gram Panchayat / Gram Sabha NOC	Gram Panchayat Galiayara dated 21/07/2023.	
15.	Env. Con.	Shri Mukesh Kaore M/s Creative Enviro Services, Bhopal(M.P.)	

The Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. Technical report from Urja Vikas Nigam Departmet w.r.t. to solar panals installed all around the project area along with protection plan.
2. Inventory of existing trees and their management plan.
3. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets, vehicles movements etc. and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
4. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
5. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report.
6. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
7. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
8. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.

17. Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/ remains absent from the SEAC meeting:

Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited:

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification was sought from PP.
1.	**Case No 10101/2023** Dr. Pranjal Patel, Director, M/s Restore Health Medicare Private Limited, 26, A&B, Block-E, Panki Kanpur Nagar, District-Kanpur Nagar (UP)-208020, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 250 kg per	**Query in 665th meeting on dated 03/8/23)**

	hour with static klin" at Plot No.-3, C-Sector, Jambar Bagari, District-Vidisha, (M.P.) [425600] **(TOR)**	
2.	****Case No 9940/2023** Shri Balveer Parmar, R/o Krishna Dham Colony, Depalpur, District-Indore (MP)- 453115, Prior Environment Clearance for Sagdod Stone Mining in an area of 4.00 ha. (10070 cum per annum) (Khasra No. 843/2/2, 843/1/3, 843/2/1), Village- Sagdod, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP) [423969] **(TOR)**	**Query in 652th meeting on dated 14/6/23** **PP submitted query reply on dated 18.10.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**
3.	**Case No 9714/2023** Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal Division, 74 Bunglow, Khel Parisar, Link Road No. 1, District-Bhopal (MP)-462003 Prior Environment Clearance for Construction of Van Bhawan, Bhopal Project of Office of Forest Department [Total Plot Area-10.28 acres, Total Built-up Area-38752.51 sqm) at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) [416476] **(EIA)**	**Query in 667th meeting on dated 08/8/23**
4.	****Case No 10142/2023** Shri Himmat Sisodia, Dy. General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Lalpur Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Lalpura, Tehsil-Maheshwar, District-Khargone (MP) [430647]	**Query in 667th meeting on dated 8/8/23.** **PP submitted query reply on dated 18.11.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC.**
5.	****Case No 10143/2023** Shri Himmat Sisodia, Dy. General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kayatkedi Sand Quarry in an area of 1.20 ha. (10008 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kayat khedi, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP) [430388]	**Query in 667th meeting on dated 8/8/23** **PP submitted query reply on dated 18.11.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**
6.	**Case No 10166/2023** Ms Rajni Tripathi, Lessee, R/o Hardua Colony, Gaytri Nagar, Ward No. 02, Post-Nagod, Tehsil-Nagod, District-Satna (MP)-485446, Prior Environment Clearance for Pipara Flagstone Quarry in an area of 3.38 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 30, 31, 32), Village-Pipra, Tehsil-Unchahara, District-Satna (MP) [426931]	**Query in 670th meeting on dated 23/8/23**
7.	**Case No 10137/2023** Shri Mahendra Sikarwar S/o Shri Puran Singh Sikarwar, Owner, R/o Village-Kolhera, Near Chowki, District-Morena (MP)-476229, Prior Environment Clearance for Kolkhera Soil Mine in an area of	Q **668th meeting on dated 09/8/23**

	1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 878, 886, 887, 896, 897), Village-Kolherra, Tehsil-Kailaras, District-Morena (MP) [430895]	
8.	**Case No 10128/2023** Shri Bhagwan Singh, Lessee, R/o Makan No. 39, Ward No. 3, Main Road, Rajpoot Mohalla, Kanja, District-Shajapur (MP)-465001, Prior Environment Clearance for Kanja Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10180 cum per year) (Khasra No. 1405, 1410), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP) [433752]	**Query in 668th meeting on dated 09/8/23**
9.	****Case No 10146/2023** Shri Himmat Sisodia, Dy. General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Makadkheda-2 Sand Quarry in an area of 2.024 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Makarkhera, Tehsil-Kasrawad, District- Khargone (MP) [432017]	**Query in 667th meeting on dated 8/8/23 . PP submitted query reply on dated 18.11.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**
10.	****Case No 10124/2023** Shri Himmat Sisodia, Dy. General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Katghada Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 175), Village-Katgarha, Tehsil-Barwaha, District- Khargone (MP) [432010]	**Query in 667th meeting on dated 8/8/23. PP submitted query reply on dated 18.11.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**
11.	**Case No 9402/2022** M/s Balaji Minerals, Galla Mandi Road, Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.536 ha. (216326 Cum per annum) (Khasra No. 1945), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) [400250] **(EIA)**	**Query in 667th meeting on dated 8/8/23**
12.	****Case No **9825/2023** Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) [422459]	**Query in 670th meeting on dated 23/8/23 . PP submitted query reply on dated 17.11.2023 hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**
13.	Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj SIngh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) [406206]	**Query in 670th meeting on dated 23/8/23**
14.	**Case No 8777/2021** Shri Vishwajeet Singh S/o Shri Mahipal Singh Baghel, M.G. Road, Sonkutchh, Dist. Dewas, MP, SIA/MP/MIN/67072/2021 Prior Environment	**Query in 672th meeting on dated**

	Clearance for Stone Quarry in an area of 3.75 ha. (50009 Cum per annum) (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP) [67072] **(Query EIA)**	**25/8/23**

****PP submitted query reply on hence this shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC.**

Committee observed that PP of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. In the entire above cases online query was raised through EDS. As per MoEF&CC OM dated 15/03/21:

"if the reply to EDS is not received on PARIVESH within 30 days, the proposal will be excluded from the pendency list shown on PARIVESH. However, the PP can relist the proposal through their respective login provisions, as and when they want to submit the EDS reply".

Recently, SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/2. According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 *(SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR)*.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

In light of the above cases mentioned on S. No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 and 14 are proposed to be delete, however, the cases in which reply has been submitted i.e. S. No. 2, 5, 9, 10 and 12 **shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC**

अध्यक्ष महोदय की अनुमाति से शुद्धि पत्र।

1. **Case No 10289/2023 Shri Ramakant Pandey, Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Barethi Raj Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (18,000 cum per year) (Khasra No. 445), Village-Barethi Raj, Tehsil-Mehgaon, District-Bhind (MP)**

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 08/11/2023 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने सहित एसईआईएए को प्रेषित किया गया है,

जिसमें अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **रेत –1800** मी^{3} प्रति वर्ष त्रृटिवश टंकण हो गया है, जबकि संबंधित दस्तावेजों में (फॉर्म–1, पीएफआर, खनन् योजना एवं डीएसआर) उत्पादन क्षमता **रेत –18000** मी^{3} प्रति वर्ष प्रस्तावित है। उपरोक्त के अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने शुद्धि पत्र जारी करने का अनुरोध किया हैं ।

समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है । अतः समिति अपनी 677वीं बैठक दिनांक 12/09/2023 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित अधिकतम मात्रा उत्पादन क्षमता **रेत –1800** मी^{3} के स्थान पर उत्पादन क्षमता **रेत –18000** मी^{3} प्रति वर्ष पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्ते/अनुशंसा यथावत रहेंगी ।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु –

1. रेत खनन् के प्रकरणो में ईसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तो के क्रियन्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन् प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जायेः–

- **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
- **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

2- Re-appraisal of the cases in case of EC issued by the DEIAA:

In the matter of the re-appraisal of the EC issued by the DEIAA, the PP requested to consider the information in Form 1 part (A), as given in the present mining plan but the committee suggested for providing information in Form 1 part (A) as it was presented during the DEIAA appraisal for grant of the EC. It is propose to take suitable decision by the SEIAA in this regard.

(सदस्य सचिव) (डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is

proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such

as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.

4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.

29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति

	बीजअगेव आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।